

Annexure – “M”

Gazette Notification of NH

  
परियोजना निदेशक/Project Director  
भारराप्रा प.का.ई. बीकानेर/NHAI, PIU, Bikaner

  
परियोजना निदेशक/Project Director  
भारराप्रा प.का.ई. बीकानेर/NHAI, PIU, Bikaner



कार्यालय  
प्रमुख शासन सचिव (PWO)  
राज-मार्ग क्रमांक RR-24  
दिनांक 20.2.19

(NH)/RR 3540  
Dated 25/2/19

220

REGD. NO. D L - 11004/99

**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

SE (NH)

3D  
TH TO CE (NH)  
25-2-19  
by NH-48

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

Gm  
परियोजना निदेशक/Project Director  
नारायण प्रसाद, बीकानेर/NHAI, PIU, Bikaner

सं. 577] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2019/माघ 16, 1940  
No. 577] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2019/MAGHA 16, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2019

क्र.आ. 694(अ).—केंद्रीय मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 4(2) के अन्तर्गत (2) प्रांत प्रथम अधिवेशन कर परमाणु करने हुए भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, प्रकाशित अधिसूचना नं. क्र.आ. 689 (अ), दिनांक 4 अक्टूबर, 2011 में संशुद्ध और निम्नलिखित संशोधन करने के नाम:-

उक्त अधिसूची में, भाग सं. 438 तथा टिप्पण संशोधित अधिसूचियों के लिए निर्माणविज्ञान को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नाम:-

तालिका

क्र. सं.	नई सं. सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
11	12	13
438	911	राजस्थान राज्य में बांध निकल राज-11 के साथ अपने जंक्शन से प्राप्त होकर सीक, भारतनगर, मीरतपुर, सोड़, गोहूम, लखनवाला, जमानर, देवीर, पूरान, नरवानर, गोहरी, भगसाण, अनामद, राविसहनर, गजामिहपुर, करनपुर को जोड़ते हुए सामुदायिक (नगर) पर राज-62 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

(क्र. सं. एनएच-14012/2/2018-पी गैर एम)

- गठित किया गया उप सचिव  
Office of the E (NH) PWD, Raj. Jalore  
No SE (NH) 87 /D-N-4 Dated 25/2/19  
Copy to the following for information & Necessary Action  
1 CGM (T) Cum RO NHAI, Jalore  
2 ACE PWD, Zone Bikaner/Jodhpur  
3 SE PWD NH Circle Bikaner/Jodhpur  
4 EE PWD, NH Dn. ....

CE PWD  
RR No. 1153  
Date 25-2-19  
(E (NH) / SE (R) / Sec 11  
CE & AS

Gm

परियोजना निदेशक/Project Director  
नारायण प्रसाद, बीकानेर/NHAI, PIU, Bikaner

Handwritten marks and initials on the left margin.

परियोजना निदेशक/Project Director  
भारतप्रा.प.का.ई. बीकानेर/NHAL, PIU, Bikaner

219

बाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में संशोधन अधिसूचना सं. 509 दिनांकित 29.01.2019 द्वारा बिना गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS  
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2019

S.O. 694(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4<sup>th</sup> April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial number 438 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

Table

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
438	911	The highway starting from its junction with NH-11 near Bap connecting Naukh, Charawala, Ranjipura, Godu, Gokul, Towarwala, Jaggsar, Dantour, Pougai, Sattasar, Rouri, Gharsana, Anupgarh, Raisinghnagar, Gajsinghpur, Karanpur, and terminating at its junction with NH-62 at Sadhuwali (Ganganagar) in the State of Rajasthan.

[F. No. NH-14012/2018-P&M,

RAJESH GUPTA, Dy. Secy

Footnote:— The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4<sup>th</sup> April, 2011 and subsequently amended vide notification no. 509 dated 29/01/2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2019

का.आ. 695(अ)—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, निम्नलिखित शक्तिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

एक राजमार्ग, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाता है, को उक्त शक्तिका के क्रमशः स्तम्भ (1), (2) और (3) में बयां-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

शक्तिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
550	988	राजस्थान राज्य में भदवासर के निकट राह-68एन के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पाकिस्तान सीमा के निकट सरकारीताला पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/2/2018-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

परियोजना निदेशक/Project Director  
भारतप्रा.प.का.ई. बीकानेर/NHAL, PIU, Bikaner

218

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में हममें संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 509(अ), दिनांकित 29.01.2019 द्वारा किया गया था।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2019

S.O. 695(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
556	958	The highway starting from its junction with NH-68 near Bhadasar and terminating at Sarkaritalu near Pakistan border in the State of Rajasthan.

(F. No. NH-14012/2/2019-P&amp;M)

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote:- The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4<sup>th</sup> April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S O 509 (A), dated 29.01.2019.

  
परियोजना निदेशक/Project Director  
भारतप्रा प.का.ई. बीकानेर/NHAI, PIU, Bikaner

  
परियोजना निदेशक/Project Director  
भारतप्रा प.का.ई. बीकानेर/NHAI, PIU, Bikaner



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3566]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 10, 2018/भाद्र 19, 1940

No. 3566]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 10, 2018/BHADRA 19, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2018

का.आ. 4713(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तानिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाता है, की तानिका के क्रमशः स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
940	911ए	राजस्थान राज्य में पृथ्वी के निकट रागा-911 के साथ अपने जंक्शन से पारद्व द्वीप अन्नादीन का बेड़ा को जोड़ते हुए खजुराहो (विराटनगर) में समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. राज-14012/02/2018-पीईडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पणी: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची को भारत के राजपत्र, दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और इसमें तत्पश्चात् संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 4203(अ), दिनांकित 29.08.2018 द्वारा किया गया था।

5295 01/2018

(1)

  
परियोजना निदेशक/Project Director  
भारतमार्ग प्रकाई, बीकानेर/NHAI, PIU, Bikaner

212

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2018

S.O. 4713(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

SL. No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
940	911A	The highway starting from its junction with NH-911 near Poojgal connecting Alladin ka Beri and terminating at Khajuwala (Beriyunwala) in the state of Rajasthan.

[F. No. NH-14012/02/2018 -P&amp;M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4<sup>th</sup> April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O.4203(B), dated 29.08.2018.

  
परियोजना निदेशक / Project Director  
भारतम्रा प.का.ई. बीकानेर / NHAI, PIU, Bikaner

  
परियोजना निदेशक / Project Director  
भारतम्रा प.का.ई. बीकानेर / NHAI, PIU, Bikaner